



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



26 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 81 राँची, गुरुवार,

15 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 अक्टूबर, 2023

विषय:- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) में पदों के संविभाजन के संबंध में ।

संख्या-13/वरीय विविध- 15/2013(खण्ड) का० 6017--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Civil) No. 643/2015 (All India Judges vs Union of India & Ors) में दिनांक 19.05.2023 को पारित आदेश एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के पदों के संविभाजन का प्रावधान निम्न प्रकार किया जाता है:-

I.

प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) पदों की संख्या	संवर्ग बल का 35%
अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) पदों की संख्या	संवर्ग बल का 15%

II. साथ ही, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में वरीय न्यायिक सेवा के पदों का प्रवर कोटि (सेलेक्शन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में तिथिवार संविभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्रमांक	तिथि	वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग के कुल पदों की संख्या	प्रवर कोटि में संविभाजन पदों की संख्या (संवर्ग के कुल पदों का 35%)	अधिकाल वेतनमान में संविभाजित पदों की संख्या (संवर्ग के कुल पदों का 15%)
1	01.01.2020	232	81	35

उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक- 18.10.2023 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या- 18 के तहत स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
